



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2016

पौष 9, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 3412/छ:-पु-9-16-31(53)-2013

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प0आ0-765

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 477 और भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से सामान्य नियमावली (दाण्डिक), 1977 के अनुच्छेद-बारह के नियम 118 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

सामान्य नियमावली (दाण्डिक) (संशोधन), 2016

- 1-(1) यह नियमावली सामान्य नियमावली (दाण्डिक) (संशोधन) नियमावली, 2016 संक्षिप्त नाम और कही जायेगी। प्रारम्भ
- (2) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषा

2-(1) नियमावली का तात्पर्य 'सामान्य नियमावली (दाण्डक), 1977' से है।
उक्त नियमावली के विद्यमान नियम 118 के अन्त में निम्नलिखित (खण्ड) (ग)

नियम 118 में जोड़ दिया जायेगा :-
संशोधन

“(ग) लाम्बत अपीलों या पुनरीक्षणों से संबंधित अभिलेख उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित किये जाने के छः माह तक विनष्ट नहीं किया जायेगा।”

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव।